कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 300/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.08.2026

थाना – सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई से साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के 10,190 रुपये कराए गए वापस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस द्वारा साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति की धनराशि वापस कराई गई।

आवेदक श्री लालबहादुर प्रजापति पुत्र स्व. पतिराज प्रजापति निवासी मोहल्ला कोईराना, रामलीला मैदान, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि पैसे भेजते समय गलती से ₹10,190 की धनराशि दूसरे खाते में स्थानांतरित हो गई। इस संबंध में साइबर शिकायत संख्या 23108240088632 दर्ज कराई गई थी।

उक्त शिकायत पर थाना सिधारी की साइबर टीम ने साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई की। नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पीड़ित के खाते में ₹10,190 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

कार्रवाई के उपरांत पीड़ित को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से फोन पर अपनी निजी जानकारी अथवा ओटीपी साझा न करें, पैसों का लेन-देन जल्दबाजी में न करें तथा किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930, www.cybercrime.gov.in अथवा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन स्थित साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

पुलिस टीम -

म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, थाना सिधारी

का0 महेश कुमार, थाना सिधारी

का0 पवन गुप्ता, थाना सिधारी

का0 सोनू कुमार, थाना सिधारी

थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़

• पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में नामजद अभियुक्ता गिरफ्तार।

• थाना बरदह पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर अभियुक्ता गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में नामजद अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है।

पूर्व की घटना-

दिनांक 31.07.2026 को वादी अनुज पाठक पुत्र उपेन्द्र पाठक निवासी ग्राम व पोस्ट आरा, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि उनके पिता उपेन्द्र पाठक ने लगभग 9 वर्ष पूर्व सुप्रिया पाठक निवासी सहनूडीह, थाना बरदह से दूसरी शादी की थी, जिनसे एक पुत्र भी है। वादी के अनुसार सुप्रिया पाठक द्वारा उनके पिता के साथ लगातार दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना की जाती थी। आरोप है कि दिनांक 30.07.2026 को उपेन्द्र पाठक अपनी ससुराल सहनूडीह गए, जहां सुप्रिया पाठक एवं उसके परिजनों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना बरदह पर *मु0अ0सं0 260/26* धारा *108 बीएनएस* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक *01.08.2026* को उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्ता *सुप्रिया पाठक* पत्नी स्व. उपेन्द्र पाठक, पुत्री यादवेन्द्र मिश्रा, निवासी ग्राम सहनूडीह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को ग्राम सहनूडीह से समय करीब *11:30* बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

- सुप्रिया पाठक पत्नी स्व. उपेन्द्र पाठक, पुत्री यादवेन्द्र मिश्रा, निवासी ग्राम सहनूडीह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 260/26, धारा 108 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह
- का0 संदेश मौर्या, थाना बरदह
- रि0का0 उत्सवपति त्रिपाठी, थाना बरदह
- रि0म0का0 ऋषिता गुप्ता, थाना बरदह